FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0106 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 03/06/2024 18:02 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 28/05/2024 **Date To (दिनांक तक):** 01/06/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:15 बजे **Time To (समय तक):** 14:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 03/06/2024 **Time (समय):** 17:45 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 03/06/2024 18:02:43 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 155 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** POLICE STATION SADAR BEHROR, KOTPUTLI BEHROR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SUBE SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** VIJAY SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1994 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	LAKKIBAAS, BEHROR, कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	LAKSIBAAS, BEHROR, कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-7006936362

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAJESH KUMAR		पिता:SURAT SINGH	1. 3/60,UIT COLONY,BHIWADI, खैरथल-तिजारा,RAJASTHAN,INDIA
2	AJEET SINGH		पिता:HARFOOL	1. KARNIKOT,कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	आईफोन व 15 हजार रूपये	15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 28.05.2024 को परिवादी श्री सुबे सिंह पुत्र श्री विजय सिंह, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम लक्सीबास तहसील बहरोड़, जिला कोटपूतली- बहरोड़ ने भ्र0नि0ब्यूरो चैकी भिवाड़ी पर एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया था कि ''सेवामें श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चोकी भिवाडी जिला खैरथल तिजारा विषय रिश्रवत लेते हुये रगे हाथ पकडवाने बाबत। महोदय निवेदन है कि मैने थाना सदर बहरोड में एक एफआईआर नं. 0044/2024 धारा 420,406 आईपीसी में दर्ज करवाई थी। इस एफआईआर में श्री राजेश कुमार एसआई थानाधिकारी, पुलिस थाना बहरोड सदर ने मुझे कहा कि अगर इसमें आगे की कार्यवाही करवानी है तो आप मुझे एक एप्पल का आई फोन 15 लाकर दो वरना तुम्हारे मामले में तुम्हे ही मुलजीम बना दूंगा। मेरे से एप्प्ल आई फोन का चार्जर पहले ही ले लिया था। श्रीमान मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत के तौर पर आई फोन नही देना चाहता हूं। उसको रिश्वत के तौर फोन लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरी इससे कोई दुश्मनी नही है ना ही मेरा कोई लेन-देन बाकि है। हस्ताक्षर सुबे सिंह पुत्र विजय सिंह ग्राम लक्सीवास तहसील बहरोड जिला कोटपूतली बहरोड मोबाईल नं. 7006936326'' उक्त रिपोर्ट पर भ्र0नि0ब्यूरो, चैकी भिवाड़ी द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो श्री राजेश कुमार उप निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बहरोड़ द्वारा एक आईफोन व थानाधिकारी का रीडर श्री अजीत कानि0 534 द्वारा 15000/- रूपये की मांग की गई। जिसकी नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट व पैन ड्राईव तैयार किए गए। भ्र0नि0ब्यूरो चैकी प्रभारी श्री परमेश्वर लाल पुलिस उप अधीक्षक के अवकाश पर जाने के कारण उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस उप अधीक्षक को निर्देश प्राप्त होने पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय ब्यूरो स्टाफ के जयपुर से रवाना होकर ताज मोती होटल, दिल्ली जयपुर रोड़, नीमराणा पर पहूंचने पर उक्त प्रकरण की पत्रावली मन् पुलिस उप अधीक्षक को प्राप्त होने एवं मौके पर परिवादी श्री सुबे सिंह के उपस्थित होने पर उक्त पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि आरोपीगण द्वारा रिश्वत की मांग की गई है जिस पर अग्रिम कार्यवाही आरंभ की गई। दिनांक 01-6-2024 को भिवाड़ी चैकी द्वारा उपलब्ध करवाए गए स्वतंत्र गवाहान श्री संजय कुमार व संजीव की उपस्थिति में परिवादी श्री सुबे सिंह से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम मे आरोपीगण को दिए जाने वाले आईफोन एवं रिश्वती राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने आरोपी श्री अजीत कानि0 को दी जाने रिश्वती राशि के रूप में पांच पांच सौ रूपये के 30 नोट कुल 15000/- रूपये प्रस्तुत किए एवं परिवादी श्री सुबे सिंह ने बताया कि श्री राजेश थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बहरोड़ ने एक आईफोन रिश्वत के रूप मे मांग की है परन्तु मेरे पास आईफोन खरीदने की राशि की व्यवस्था नही होने के कारण मै एक आईफोन के डिब्बे मे एक ओपो कम्पनी का फोन रख कर लाया हूं जो आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। परिवादी श्री सुबे सिंह द्वारा एक ओपो कमपनी का पुराना इस्तेमाली फोन जिसको आईफोन के डब्बे मे रखा हुआ है उक्त आईफोन के डिब्बे पर IPHONE IMEI/MEID 35875985149671O, SERIAL NO LH 4 FQ 9JH7K लिखा हुआ है एवं ओपो कम्पनी का पुराना इस्तेमाली फोन जिसके IMEI NO. 867765030770457, IMEI No. 867765030770440 DEVICE NAME oppo A71K BLACK COLOUR, MODEL NO CPH1801 है। उक्त नोटो व ओपो कम्पनी के मोबाईल व आईफोन के डिब्बे पर श्री सतीश कुमार हैड कानि0 11 पर कार्यालय से बैग मे रख कर लाई गई फिनोलफथलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक अखबार पर फिनोलफथलीन पाउडर डलवाया जाकर उक्त नोटो व आईफोन के डिब्बे व ओपो कम्पनी के मोबाईल पर अच्छी तरह लगवाया जाकर आईफोन पर प्लास्टिक कवर लगाया जाकर उस पर भी फिनोलफथलीन पाउडर लगवाया जाकर आरोपी श्री अजीत कानि0 को दी जाने वाली रिश्वती राशि परिवादी श्री सुबे सिंह के बदन पर पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में श्री सतीश कुमार हैड कानि0 11 से फिनोलफ्थलीन पाउडर उक्त 15000/- रूपये रखवाए गए एवं आईफोन के डिब्बे को एक केरी बैग जिस पर S.B. COMMUNICATION लिखा हुआ है मे रखवाकर परिवादी को सुपुर्द किया गया। जिसकी नियमानुसार फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोल्फ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बानेट पाउडर एवं सुपुदर्गी नोट व सुपुर्दगी विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 1-6-2024 समय 1.45 पीएम पर परिवादी श्री सुबेसिंह द्वारा संदिग्ध श्री अजीत सिंह की पुलिस थाने पर उपस्थित बाबत अपने व्हाटस अप नम्बर से श्री अजीत सिंह कानि. के मोबाईल नम्बर 9887782856 पर समय 12.45 पीएम,1.34 पीएम,1.45 पीएम पर काल किया तो संदिग्ध श्री अजीत सिंह का पुलिस थाने पर होना ज्ञात हुआ है परिवादी द्वारा की गई उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल

फोन का स्पीकर आन करके विभागीय डिजीटल वायस रिकार्डर में लगे मैमे◌ारी कार्ड में रिकार्ड की गयी है संदिग्ध द्वारा परिवादी को पुलिस थाना बहरोड सदर में ही बुलाया गया है अतः मन टी.एल.ओ मय हमराहीयान व स्वतंत्र गवाहान के सरकारी वाहनो से रवाना हुआ तथा परिवादी श्री सुबेसिंह को उसके निजी वाहन से मय श्री निहाल कानि. एसीबी चैकी भिवाडी के रवाना किया जाकर पुलिस थाना सदर भिवाड़ी के आस पास पहूंचकर ट्रेप जाल बिछाया गया। दिनांक 1-6-2024 को समय करीब 2.30 पीएम पर परिवादी श्री सुबे सिंह पुत्र श्री विजय सिंह निवासी ग्राम लक्षीबास तहसील बहरोड़, जिला कोटपूतली-बहरोड़ ने अपने मोबाईल फोन नं0 7006936326 से मन् पुलिस उप अधीक्षक नीरज भारद्वाज के मोबाईल नम्बर 7014657582 से मिस काल कर निर्धारित ईशारा किया। परिवादी का ईशारा पाते ही मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व आस पास खड़े ब्यूरो स्टाफ को इ◌्रशारा करते हुए पुलिस थाना सदर बहरोड़ में प्रवेश कर थानाधिकारी कक्ष मे पहूंचा तो परिवादी श्री सुबे सिंह थानाधिकारी कक्ष में खड़ा हुआ मिला जिससे पूर्व में सुपुर्द किया गया विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर बंद करके अपने पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी के अलावा उक्त थानाधिकारी कक्ष में एक टू-स्टार वर्दीधारी एवं एक अन्य व्यक्ति ओर भी था। परिवादी श्री सुबे सिंह ने टू-स्टार वर्दीधारी की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री राजेश कुमार थानाधिकारी है एवं दुसरे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यह अजीत कानि0 थानाधिकारी का रीडर है। परिवादी श्री सुबे सिंह ने बताया कि मै थाने के अन्दर आकर सीधा अजीत के कमरे मे गया तब वहां पर अजीत नही था तभी अजीत थानाधिकारी के कमरे से निकलकर मेरे पास आया तब मैने अजीत से बोला कि वो रूपये ले ले तब अजीत बोला की अभी रहने दे बाद मे दे देना ओर बोला थानाधिकारी के पास चलो जब मै अजीत के साथ थानाधिकारी के पास मे आए तो थानाधिकारी श्री राजेश कुमार जी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे फिर मै थानाधिकारी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया तथा अजीत खड़ा रहा। थानाधिकारी ने मेरे द्वारा लाये गये रिश्वत के आईफोन की थैली पर हाथ लगाकर बोला ये लाया है फिर एसएचओ ने थैली मे से फोन का डिब्बा निकालकर उसको देखने लग गये और बोला इसपे यह नही लिखा हुआ है कि कौनसा माडल है फिर एसएचओ साहब के हाथ से डिब्बा अजीत ने ले लिया और मैने बोला शायद डिब्बे पर माडल लिखा आता है फिर एसएचओ साहब बोले नही इसमे नही आता और एसएचओ साहब ने अजीत से डिब्बा लेकर खोलने लग गये फिर अजीत ने बोला कि फोन की सील खोलना एवं साथ मे थानाधिकारी महोदय हरिद्वार के आस पास प्लाट लेने की चर्चा करते रहे फिर एसएचओ साहब बोले यह सील नही खुलेगी/आलपीन से खोलनी पड़ेगी ओर फोन खोलने मे लग गये तभी मैने कहा कि सर मे दो दिन नही हूं सोमवार को जयपुर से वापस आउंगा तो मेरी सोमवार को ही कोर्ट मे एफआर लगवा देना बार-बार आने मे सर बहुत खर्चा होता है तब एसएचओ साहब ने अजीत रीडर से पूछा कि एफआर तैयार है ना अजीत ने बोला साहब दो चार कागज कम है वो हो जाये तो एसएचओ साहब ने बोला कि मै सोमवार को तेरे एफआर लगवा दूंगा इस सिलसिले मे मेरी जज साहब से भी बात हो गयी है फिर मैने मोबाईल के माध्यम से आपको निर्धारित ईशरा कर दिया था। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना एवं स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टा◌ॅफ का परिचय देते हुए टू-स्टार वर्दीधारी उप निरीक्षक पुलिस को उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री राजेश कुमार पुत्र श्री सूरत सिंह, उम्र 49 वर्ष, जाति अहिर, निवासी ग्राम बपास थाना पटौदी जिला गुरूग्राम हाल निवासी 3/60 यूआईटी कालोनी, भिवाड़ी, जिला तिजारा-खैरथल हाल उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बहरोड़, जिला कोटपूतली-बहरोड़ एवं श्री अजीत सिंह पुत्र श्री हरफूल, जाति अहिर, उम्र 30 साल निवासी करनीकोट, पुलिस थाना मण्डावर, जिला कोटपूतली-बहरोड़ हाल कानि0 नं0 534 पुलिस थाना सदर बहरोड़, जिला कोटपूतली-बहरोड़ होना बताया तथा दुसरे व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अजीत सिंह पुत्र श्री हरफूल, जाति अहिर, उम्र 30 साल निवासी करनीकोट, पुलिस थाना मण्डावर, जिला कोटपूतली-बहरोड़ हाल कानि0 नं0 534 पुलिस थाना सदर बहरोड़, जिला कोटपूतली-बहरोड़ होना बताया। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने श्री राजेश कुमार उप निरीक्षक से अभी-अभी कुछ समय पहले परिवादी श्री सुबे सिंह से प्राप्त किए गए रिश्वत के रूप मे आईफोन के पेकेट बारे में पूछा गया तो श्री राजेश कुमार उप निरीक्षक पुलिस ने बताया कि मै इस सुबे सिंह को जानता हूं इसने हमारे थाने पर एक मुकदमा दर्ज कराया हुआ है जिसका परिवादी है मैने उक्त श्री सुबे सिंह से कोई रिश्वत के रूप में आईफोन की डिमाण्ड नही की है तथा इसका जो मुकदमा हमारे थाने मे दर्ज था उसका अनुसंधान करीब 20 दिन पूर्व ही पूर्ण करके प्रकरण मे एफआर मे नतीजा श्रीमान् सी0ओ0 साहब बहरोड़ से प्राप्त किया जा चुका था उसको कोई अनुसंधान हमारे पास पैण्डिग नही था। यह सुबे सिंह मेरा परिचय होने व गुड़गांव मे रहने के कारण इसने बताया कि तो जानकारी हो गई थी इसका अनुसंधान मेरिट मे निस्तारण करने से अनुसंधान से यह सन्तुष्ट था तथा तफतीश भी पूर्ण हो चुकी थी। आज सुबे सिंह स्वयं थाने पर आया था जिसके हाथ मे एक डिब्बा था ओर उसने बताया था कि यह नया फोन लाया हूं ओर यह डिब्बा मेरी टेबिल पर रखा था उसके नया फोन कहने से ओर नया होने की वजह से मैने उक्त आईफोन के डिब्बे को अपने हाथ मे लेकर देख लिया था उसके अन्दर फोन था या नही मुझे ध्यान नही है क्योंकि वह डिब्बा बंद था उसके अन्दर क्या था मुझे नही पता ना ही मैने खोलकर देखा था। यह मेरे एक साथी राहुल यादव की मौसी का लड़का होने से परिचित हो गया था। इसी वजह से उक्त मुकदमे का निस्तारण होने के बाद मे भी आज स्वयं ही आया था ओर आकर खुद ही बताया था कि मै यह नया आईफोन लाया हूं। उस डिब्बे मे आईफोन था या नही मुझे नही पता मैने तो नया फोन होने की वजह से उक्त डिब्बे को हाथ मे ले लिया था। इस परिवादी ने श्री राजेश

कुमार उप निरीक्षक पुलिस की बातो का खण्डन करते हुए बताया यह झूंठ बोले रहे है कि दिनांक 30-5-2024 को मैने अपने मोबाईल फोन से वाट्सअप पर वार्ता की थी जब श्रीराजेश कुमार उप निरीक्षक पुलिस द्वारा मेरे से एक आईफोन की रिश्वत के रूप मे मांग की थी उनकी मांग के अनुसरण में आज आईफोन का डिब्बा एवं एक ओपो कम्पनी का पुराना इस्तेमाली फोन लेकर आया था जिसको आप द्वारा आईफोन के डिब्बे में पैक करवाकर उस पर प्लास्टिक लगाकर एक केरी बैग मे डालकर इनके कक्ष में आया था तब थानाधिकारी ने मेरे द्वारा लाये गये रिश्वत के आईफोन की थैली पर हाथ लगाकर बोला ये लाया है फिर एसएचओ ने थैली मे से फोन का डिब्बा निकालकर उसको देखने लग गये और बोला इसपे यह नही लिखा हुआ है कि कौनसा माडल है फिर एसएचओ साहब के हाथ से डिब्बा अजीत ने ले लिया और मैने बोला शायद डिब्बे पर माडल लिखा आता है फिर एसएचओ साहब बोले नही इसमे नही आता और एसएचओ साहब ने अजीत से डिब्बा लेकर खोलने लग गये फिर अजीत ने बोला कि फोन की सील खोलना एवं साथ मे थानाधिकारी महोदय हरिद्वार के आस पास प्लाट लेने की चर्चा करते रहे फिर एसएचओ साह बोले यह सील नही खुलेगी/आलपीन से खोलनी पड़ेगी ओर फोन खोलने मे लग गये तभी मैने कहा कि सर मे दो दिन नही हूं सोमवार को जयपुर से वापस आउंगा तो मेरी सोमवार को ही कोर्ट मे एफआर लगवा देना बार-बार आने मे सर बहुत खर्चा होता है तब एसएचओ साहब ने अजीत रीडर से पूछा कि एफआर तैयार है ना अजीत ने बोला साहब दो चार कागज कम है वो हो जाये तो एसएचओ साहब ने बोला कि मै सोमवार को तेरे एफआर लगवा दूंगा इस सिलसिले मे मेरी जज साहब से भी बात हो गयी है फिर मैने मोबाईल के माध्यम से आपको निर्धारित ईशारा कर दिया था। तत्पश्चात् श्री अजीत कानि0 नं0 534 से रिश्वती राशि 15000/- रूपये मांगने के बारे में पूछा तो श्री अजीत कानि0 नं0 534 ने बताया कि मैने कभी भी श्री सुबे सिंह से रिश्वत की मांग नही की ना ही मैने कोई रूपये प्राप्त किए है यह अभी मेरे पास आया ओर मुझे कुछ पैसे देने लगा तब मैने इससे कहा कि मै पैसे लेता नही हूं फिर यह बोला के ले ले फिर मैने कहा था कि मै पैसे वगैराह नही लेता, और किस बात के पैसे लूं तेरे से, उसके बाद यह मुझे बोला की थानेदार जी पास चल तब मै इसके साथ थानाधिकारी के कमरे मे आया था इसने एक आईफोन का डिब्बा थानेदार जी टेबिल पर रखा जिसको थानेदार जी देख रहे थे मेने तो श्री सुबे सिंह द्वारा आईफोन को डालकर लाया हुआ केरी बैग को हाथ लगाया था। मैने इससे कभी भी रिश्वत की मांग नही की है। इसने मुझे साजिश के तहत फंसाया है क्योंकि इसका परिचित राहुल यादव जो मेरा साथी है यह खुद की वाटसअप काॅल किया करता था। मैने कभी भी अपनी तरफ से कोई काॅल नही किया और इसने साजिश के तहत कोई रिकार्डिग की हो तो इसका मुझे ध्यान नही है मुझे एक कान से कम सुनाई देता है ओर अपने आप ही बात करता था मैने इससे कोई रिश्वत की मांग नही की है ना ही मै कभी रिश्वत ली है। आज भी यही बार-बार मुझे वाट्सअप काल कर रहा था कि कहां पर है मै मुलजिम की तलाश हेतु थाने से बाहर गया हुआ था तथा बार-बार वाट्सअप काल कर मुझे थाने पर बुला रहा था। मैने पैसे वगैराह की कोई बात नही की थी ना ही मैने इससे कोई रूपये लिए है। इस पर परिवादी श्री सुबे सिंह ने श्री अजीत कानि0 की बातो का खण्डन करते हुए बताया कि यह झूंठ बोल रहे है जब मै दिनांक 28-5-2024 को मेरे मुकदमे के बारे में इनसे मिलने आया था तब इन्होने मुझसे 15000/- रूपये रिश्वत की मांग की थी। उनकी मांग के अनुसरण में आज मै इनको रिश्वत के 15000/- रूपये देने आया तब इन्होने रिश्वत के रूपये लेने से मना कर दिया था और बोला था की अभी रख लो बाद मे लेता हूं इंचार्ज साहब से पहले मिल ले जो मेरी जेब मे ही रखे हुए है। चूंकि आरोपी श्री राजेश कुमार उप निरीक्षक पुलिस एवं श्री अजीत सिंह द्वारा परिवादी द्वारा लाए गए आईफोन के डिब्बे व केरी बैग को हाथ लगाया था ऐसी स्थिति में दोनो के हाथो के धोवन लिया जाना आवश्यक है। अतः टेप बाक्स से एक प्लास्टिक का गिलास निकालकर उसमे थानाधिकारी कक्ष मे रखी वाटर बोतल से साफ पानी डालकर उसके एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया जाकर समस्त हाजरिन को दिखाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा कांच के गिलास के घोल में श्री राजेश कुमार उप निरीक्षक पुलिस के दाहिने हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरिन ने धोवन के रंग गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर मार्क आर-1, आर-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिए गए। प्लास्टिक के गिलास को कैची से काटकर फिकवाया गया। टेप बाक्स से एक प्लास्टिक का गिलास निकालकर उसमे थानाधिकारी कक्ष मे रखी वाटर बोतल से साफ पानी डालकर उसके एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया जाकर समस्त हाजरिन को दिखाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा कांच के गिलास के घोल में श्री राजेश कुमार उप निरीक्षक पुलिस के बांये हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे समस्त हाजरिन ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर मार्क एल-1, एल-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिए गए। प्लास्टिक के गिलास को कैची से कटवाकर बाहर फिकवाया गया। तत्पश्चात् टेप बाक्स से एक प्लास्टिक का गिलास निकालकर उसमे थानाधिकारी कक्ष मे रखी वाटर बोतल से साफ पानी डालकर उसके एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया जाकर समस्त हाजरिन को दिखाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा कांच के गिलास के घोल में श्री अजीत कानि0 534 के दाहिने हाथ की अंगूठे एवं अंगूलियो को

धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे समस्त हाजरिन ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर मार्क एआर-1, एआर-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिए गए। प्लास्टिक के गिलास को कैची से कटवाकर बाहर फिकवाया गया। टेप बाक्स से एक प्लास्टिक का गिलास निकालकर उसमे थानाधिकारी कक्ष मे रखी वाटर बोतल से साफ पानी डालकर उसके एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया जाकर समस्त हाजरिन को दिखाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा कांच के गिलास के घोल में श्री अजीत कानि0 534 के बांये हाथ की अंगूठे एवं अंगूलियो को धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे समस्त हाजरिन ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर मार्क एएल-1, एएल-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिए गए। प्लास्टिक के गिलास को कैची से कटवाकर बाहर फिकवाया गया। परिवादी श्री सुबे सिंह द्वारा एक ओपो कम्पनी का पुराना इस्तेमाली फोन जिसको आईफोन के डब्बे मे रखा हुआ है उक्त आईफोन के डिब्बे पर IPHONE IMEI/MEID 35875985149671O, SERIAL NO LH4FQ9JH7K लिखा हुआ है एवं ओपो कम्पनी का पुराना इस्तेमाली फोन जिसके IMEI NO. 867765030770457, IMEI No. 867765030770440, DEVICE NAME oppo A71K BLACK COLOUR, MODEL NO CPH1801 है। जिस पर लगा प्लास्टिक कवर आरोपीगण द्वारा हटाया गया है तथा उक्त आईफोन के डिब्बे को एक केरी बैग जिस पर S.B. COMMUNICATION लिखा हुआ है उक्त आईफोन का डिब्बा जिसमें पुराना ओपो कम्पनी फोन रखा हुआ है को एक कपड़े की थैली मे रखकर सिल मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। चूंकि परिवादी श्री सुबे सिंह द्वारा पूर्व मे बताया गया है कि आरोपी श्री अजित कानि0 द्वारा रिश्वती राशि 15000/- रूपये की मांग की गई थी जिसको उक्त रिश्वती राशि 15000/- रूपये देने लगा तो श्री अजित कानि0 द्वारा रिश्वती राशि लेने से मना कर दिया जो मेरी पेंट की दाहिनी जेब मे ही रखे है। इस पर स्वतंत्र गवाह श्री संजय कुमार से परिवादी की पेंट की जेब से पूर्व में रखवाई गई रिश्वती राशि 15000/- रूपये को निकलवाया जाकर पूर्व मे बनाई गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो हूबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए उक्त नोटो को एक सफेद कागज के साथ सिल कर सिल चिट मोहर किया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को बारी-बारी चलाकर सरसरी तौर पर सुना गया तो उसमे रिश्वत लेन देन के वक्त की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई है जिसका नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार की गई। थानाधिकारी श्री राजेश कुमार उप निरीक्षक से परिवादी द्वारा दर्ज करवाए गए प्रकरण संख्या 44/2024 की पत्रावली के बारे मे जानकारी प्राप्त की गई तो थानाधिकारी श्री राजेश कुमार उप निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री सुबे सिंह द्वारा दर्ज करवाए गए प्रकरण की पत्रावली पेश की जिसका अवलोकन किया गया तो पाया गया की दिनांक 21-5-2024 को ही वृत्ताधिकारी से एफआर आदेश प्राप्त कर निस्तारण करने के बाद भी परिवादी को उसके विरूद्व कार्यवाही करने हेतु पैण्डिग बताते रहे। जिसकी फोटो प्रमाणित प्रति जरिये फर्द जप्ती जब्त की गई। अब तक की कार्यवाही से श्री राजेश कुमार पुत्र श्री सूरत सिंह, उम्र 49 वर्ष, जाति अहिर, निवासी ग्राम बपास थाना पटौदी जिला गुरूग्राम हाल निवासी 3/60 यूआईटी कालोनी, भिवाड़ी, जिला तिजारा-खैरथल हाल उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बहरोड़, जिला कोटपूतली-बहरोड़ एवं श्री अजीत सिंह पुत्र श्री हरफूल, जाति अहिर, उम्र 30 साल निवासी करनीकोट, पुलिस थाना मण्डावर, जिला कोटपूतली-बहरोड़ हाल कानि0 नं0 534 पुलिस थाना सदर बहरोड़, जिला कोटपूतली-बहरोड़ द्वारा परिवादी श्री सुबे सिंह द्वारा पुलिस थाना सदर बहरोड़ पर दर्ज करवाए गए प्रकरण में उसकी मदद करने एवं उसको आरोपी बनाने की धमकी देकर व उसके द्वारा दर्ज करवाए गए मुकदमे में उसके विरूद्व कार्यवाही करने हेतु पैण्डिग बताते रहे एवं परिवादी से श्री राजेश कुमार उप निरीक्षक द्वारा एक आईफोन की मांग करना एवं श्री अजित कानि0 द्वारा 15000/- रूपये रिश्वत की मांग करना एवं मांग के अनुसरण में श्री राजेश कुमार उप निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी द्वारा आईफोन का पेकिट प्राप्त करना तथा श्री अजित कानि0 द्वारा चालाकी बरतते हुए रिश्वती राशि लेने से मना कर दिया व बाद मे लेने बाबत कहा एवं अजीत कानि0 को यह भी जानकारी थी की आईफोन एसएचओ ने रिश्वत के रूप मे मंगवाया है जो सत्यापन वार्ता में अजीत का कहना की तू तो थानेदार साहब का ही ध्यान रख। आरोपी श्री राजेश कुमार उप निरीक्षक के दाहिने हाथ के धोवन क रंग गुलाबी एवं बांये हाथ का रंग हल्का गुलाबी एवं श्री अजित कानि0 534 को दाहिने हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी एवं बांये हाथ का रंग हल्का गुलाबी होना पाया गया है। जिससे इनका उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पी0सी0 एक्ट 1988 (संशोधित) पी0सी0 एक्ट वर्ष 2018 एव 120बी भा0दं0सं0 का पाया जाने पर (1) श्री राजेश कुमार पुत्र श्री सूरत सिंह, उम्र 49 वर्ष, जाति अहिर, निवासी ग्राम बपास थाना पटौदी जिला गुरूग्राम हाल निवासी 3/60 यूआईटी कालोनी, भिवाड़ी, जिला तिजारा-खैरथल हाल उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बहरोड़, जिला कोटपूतली-बहरोड़ एवं (2) श्री अजीत सिंह पुत्र श्री हरफूल, जाति अहिर, उम्र 30 साल निवासी करनीकोट, पुलिस थाना मण्डावर, जिला कोटपूतली-बहरोड़ हाल कानि0 नं0 534 पुलिस थाना सदर बहरोड़, जिला कोटपूतली-बहरोड़ को पृथक-पृथक जरिये फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अतः (1) श्री

राजेश कुमार पुत्र श्री सूरत सिंह, उम्र 49 वर्ष, जाति अहिर, निवासी ग्राम बपास थाना पटौदी जिला गुरूग्राम हाल निवासी 3/60 यूआईटी कालोनी, भिवाड़ी, जिला तिजारा-खैरथल हाल उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बहरोड़, जिला कोटपूतली-बहरोड़ एवं (2) श्री अजीत सिंह पुत्र श्री हरफूल, जाति अहिर, उम्र 30 साल निवासी करनीकोट, पुलिस थाना मण्डावर, जिला कोटपूतली-बहरोड़ हाल कानि0 नं0 534 पुलिस थाना सदर बहरोड़, जिला कोटपूतली-बहरोड़ के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। (नीरज भारद्वाज) पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण,जयपुर। .....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नीरज भारद्वाज पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर ग्रामीण जयपुर , ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भा0द0स0 में आरोपी 1.श्री राजेश कुमार पुत्र सूरत सिंह, जिला तिजारा-खैरथल हाल उप निरीक्षक पुलिस,थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बहरोड़, जिला कोटपूतली-बहरोड़ एवं 2 श्री अजीत सिह पुत्र श्री हरफूल निवासी जिला कोटपूतली-बहरोड़ हाल कानि0न0 534 पुलिस थाना सदर बहरोड़, जिला कोटपूतली-बहरोड़ के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी रविन्द्र सिंह पुलिस उप- अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सीकर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 33 पर अंकित है। (रणधीर सिंह) उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 536-40 दिनांक 03.06.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर। 2 महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज जयपुर। 3 जिला पुलिस अधीक्षक कोटपूतली-बहरोड़। 4 उप महानिरीक्षक पुलिस -द्वितीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर । 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण। उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Ravindra Singh Shekhawat **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Randhir Singh
Location: Rajasthan,IN
Date: 03/06/2024 18:05:37

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Randheer Singh

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1975				
2	Male	1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)